कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

मुख्य कार्यालय – साकेत भवन, आई.टी.आई. चौक, कोरबा (छ.ग.)

मु.का. दूरभाष : 221288, 222672, फैक्स : 07759–221929, पो. बॉक्स नं. – 12 पिन कोड – 495677

Website : www.korbamunicipal.in, korba.urbanecg.gov.in, Email : corporationkorba@gmail.com

फा.क्र. / 1498 / जल प्रदाय / 2026 /

कोरबा, दिनांक 30/10/2026

Gem Portal Bid Invitation

नगर पालिक निगम, कोरबा के जल आपूर्ति कार्य हेतु इच्छुक सेवा प्रदाता से अकुशल श्रमिक (प्लेसमेंट) प्रदाय हेतु जेम पोर्टल के माध्यम से बिड आमंत्रित किया जाता है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

Gem Bid No./Issue date	Description	Estimate Amount	Earnest Money	Bid due date	Due date for Submission of Sealed envelope
GEM/2026/ B/8220386 Dt. 30.10.2026 (2nd Call)	Selection of Placement Agency For Manpower Outsourcing Services Under Minimum Wages For Water Works At Municipal Corporation Korba.	102.43 Lakh	01 Lakh	16.11.2026	23.11.2026

बिड की विस्तृत जानकारी GEM Portal पोर्टल https://gem.gov.in के साथ ही विभागीय वेबसाईट http://korbamunicipal.in एवं https://uad.cg.gov.in में देखा एवं डाउनलोड किया जा सकता है।

अधीक्षण अभियंता
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)

पृष्ठां.क्र. / 1498 / जल प्रदाय / 2026 /

कोरबा, दिनांक.....

प्रतिलिपि :–

1. प्रोग्रामर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, नया रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित।

अधीक्षण अभियंता
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)

बिड संख्या/Bid Number: GEM/2026/B/8220386
दिनांक /Dated: 30-10-2026

बिड दस्तावेज़ / Bid Document

बिड विवरण/Bid Details	
बिड बंद होने की तारीख/समय /Bid End Date/Time	16-11-2026 18:00:00
बिड खुलने की तारीख/समय /Bid Opening Date/Time	17-11-2026 18:00:00
बिड पेशकश वैधता (बंद होने की तारीख से)/Bid Offer Validity (From End Date)	90 (Days)
मंत्रालय/राज्य का नाम/Ministry/State Name	Chhattisgarh
विभाग का नाम/Department Name	Urban Development Department Chhattisgarh
संगठन का नाम/Organisation Name	N/a
कार्यालय का नाम/Office Name	Municipal Corporation Korba
शिकायत निवारण के संपर्क विवरण/ Contact details of Grievance redressal	HOD Email id :nigam.korba.cg@nic.in Buyer Email id: bhushan.ram@cg.gov.in
वस्तु श्रेणी /Item Category	Manpower Outsourcing Services - Minimum wage - Unskilled; Not Required; Others
अनुबंध अवधि /Contract Period	1 Year(s)
पिछले 3 वित्तीय वर्षों का बिडर का न्यूनतम औसत वार्षिक वित्तीय टर्नओवर/Minimum Average Annual Turnover of the bidder (For the last 3 Financial Years)	100 Lakh (s)
उन्हीं/समान सेवा के लिए अपेक्षित विगत अनुभव के वर्ष/Years of Past Experience Required for same/similar service	3 Year (s)
इसी तरह की सेवाओं का पिछला आवश्यक अनुभव है/Past Experience of Similar Services required	Yes
टर्नओवर पात्रता मानदंड/Turnover eligibility criteria	To be verified by the buyer at the time of technical evaluation
एमएसएमई के लिए अनुभव के वर्षों और टर्नओवर से छूट प्रदान की गई है/MSE Relaxation for Years of Experience and Turnover	No
स्टार्टअप के लिए अनुभव के वर्षों और टर्नओवर से छूट प्रदान की गई है /Startup Relaxation for Years of Experience and Turnover	No

बिड विवरण/Bid Details	
विक्रेता से मांगे गए दस्तावेज़/Document required from seller	Experience Criteria,Bidder Turnover,Certificate (Requested in ATC),Additional Doc 1 (Requested in ATC),Additional Doc 2 (Requested in ATC),Additional Doc 3 (Requested in ATC),Additional Doc 4 (Requested in ATC) *In case any bidder is seeking exemption from Experience / Turnover Criteria, the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer
क्या आप निविदाकारों द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज़ों को निविदा में भाग लेने वाले सभी निविदाकारों को दिखाना चाहते हैं? संदर्भ मेनू है/Do you want to show documents uploaded by bidders to all bidders participated in bid?	No
बिड लगाने की समय सीमा स्वतः नहीं बढ़ाने के लिए आवश्यक बिड की संख्या। / Minimum number of bids required to disable automatic bid extension	1
दिनों की संख्या, जिनके लिए बिड लगाने की समय-सीमा बढ़ाई जाएगी। / Number of days for which Bid would be auto-extended	3
ऑटो एक्सटेंशन अधिकतम कितनी बार किया जाना है। / Number of Auto Extension count	1
बिड से रिवर्स नीलामी सक्रिय किया/Bid to RA enabled	No
बिड का प्रकार/Type of Bid	Two Packet Bid
तकनीकी मूल्यांकन के दौरान तकनीकी स्पष्टीकरण हेतु अनुमत समय /Time allowed for Technical Clarifications during technical evaluation	2 Days
न्यूनतम मूल्य/Floor Price	This bid has been created/published with floor price(minimum value) selected by the Buyer. Service Providers are advised to quote above the minimum floor value.
Payment Timelines	Payments shall be made to the Seller within **45** days of issue of service delivery acceptance certificate (SDAC) and on-line submission of bills (This is in supersession of 10 days time as provided in clause 12 of GeM GTC)
मूल्यांकन पद्धति/Evaluation Method	Total value wise evaluation
मूल्य दर्शाने वाला वित्तीय दस्तावेज ब्रेकअप आवश्यक है / Financial Document Indicating Price Breakup Required	Yes
मध्यस्थता खंड/Arbitration Clause	No
सुलह खंड/Mediation Clause	No

ईएमडी विवरण/EMD Detail

एडवाईजरी बैंक/Advisory Bank	State Bank of India
ईएमडी राशि/EMD Amount	100000

ईपीबीजी विवरण /ePBG Detail

एडवाइजरी बैंक/Advisory Bank	State Bank of India
ईपीबीजी प्रतिशत (%)/ePBG Percentage(%)	3.00
ईपीबीजी की आवश्यक अवधि (माह) /Duration of ePBG required (Months).	12

(a). जेम की शर्तों के अनुसार ईएमडी छूट के इच्छुक बिडर को संबंधित केटेगरी के लिए बिड के साथ वैध समर्थित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने है। एमएसई केटेगरी के अंतर्गत केवल वस्तुओं के लिए विनिर्माता तथा सेवाओं के लिए सेवा प्रदाता ईएमडी से छूट के पात्र हैं। व्यापारियों को इस नीति के दायरे से बाहर रखा गया है।/EMD EXEMPTION: The bidder seeking EMD exemption, must submit the valid supporting document for the relevant category as per GeM GTC with the bid. Under MSE category, only manufacturers for goods and Service Providers for Services are eligible for exemption from EMD. Traders are excluded from the purview of this Policy.

(b).ईएमडी और संपादन जमानत राशि, जहां यह लागू होती है, लाभार्थी के पक्ष में होनी चाहिए। / EMD & Performance security should be in favour of Beneficiary, wherever it is applicable.

(c).ईएमडी और संपादन जमानत राशि लाभार्थी के पक्ष में होनी चाहिए। / Earnest Money Deposit (EMD) shall also be accepted by the buyer in the form of a surety bond.

लाभार्थी /Beneficiary :

Commissioner
Municipal Corporation Korba, Urban Development Department Chhattisgarh, N/A,
(Commissioner Municipal Corporation Korba)

बोली विभाजन लागू नहीं किया गया/ Bid splitting not applied.

एमआईआई अनुपालन/MII Compliance

एमआईआई अनुपालन/MII Compliance	Yes

एमएसई खरीद वरीयता/MSE Purchase Preference

एमएसई खरीद वरीयता/MSE Purchase Preference	No

1. The minimum average annual financial turnover of the bidder during the last three years, ending on 31st March of the previous financial year, should be as indicated above in the bid document. Documentary evidence in the form of certified Audited Balance Sheets of relevant periods or a certificate from the Chartered Accountant / Cost Accountant indicating the turnover details for the relevant period shall be uploaded with the bid. In case the date of constitution / incorporation of the bidder is less than 3-year-old, the average turnover in respect of the completed financial years after the date of constitution shall be taken into account for this criteria.
2. Years of Past Experience required: The bidder must have experience for number of years as indicated above in bid document (ending month of March prior to the bid opening) of providing similar type of services to any Central / State Govt Organization / PSU. Copies of relevant contracts / orders to be uploaded along with bid in support of having provided services during each of the Financial year.

3. Past Experience of Similar Services: The bidder must have successfully executed/completed similar Services over the last three years i.e. the current financial year and the last three financial years(ending month of March prior to the bid opening): -
1. Three similar completed services costing not less than the amount equal to 40% (forty percent) of the estimated cost; or
2. Two similar completed services costing not less than the amount equal to 50% (fifty percent) of the estimated cost; or
3. One similar completed service costing not less than the amount equal to 80% (eighty percent) of the estimated cost.

अतिरिक्त योग्यता /आवश्यक डेटा/Additional Qualification/Data Required

Scope of work & Job description:1793349861.pdf

Buyer to upload undertaking that Minimum Wages indicated by him during Bid Creation are as per complied with The Code on Wages Act:1793349961.pdf

Buyer to upload Gazette notification for the breakup of ESI/EPF/ELDI etc if required:1793352190.pdf

Manpower Outsourcing Services - Minimum Wage - Unskilled; Not Required; Others (65)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

विवरण/ Specification	मूल्य/ Values
कोर / Core	
Skill Category	Unskilled
Educational Qualification	Not Required
Type of Function	Others
List of Profiles	Mazdoor/Labour
Specialization	Not Required
Post Graduation	Not Required
Specialization for PG	Not Applicable
Experience	0 to 3 Years
State	NA
Zipcode	NA
District	NA
Is the Geographical presence of the Service Provider's office required in the consignee's State	Yes
Name of states/ UT for geographical presence is required	Chhattisgarh
एडऑन /Addon(s)	
अतिरिक्त विवरण /Additional Details	
Designation	Helper,MajDoor,Plumber

क्रेता द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य/Minimum Floor Price defined by Buyer

क्रेता द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य/Minimum Floor Price defined by Buyer	Yes

प्राचल/Parameter	मूल्य/Values
कोर / Core	3.85

अतिरिक्त विशिष्टि दस्तावेज़ /Additional Specification Documents

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	संसाधनों की मात्रा / Number of Resources to be hired	अतिरिक्त आवश्यकता /Additional Requirement

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	संसाधनों की मात्रा / Number of Resources to be hired	अतिरिक्त आवश्यकता /Additional Requirement
1	Bhushan Ram Oraon	495677,saket bhawan, , Korba	65	• Minimum daily wage (INR) exclusive of GST : 371.4 • Bonus (INR per day) : 0 • EDLI (INR per day) : 0 • EPF Admin Charge (INR per day) : 0 • Optional Allowances 1 (INR per day) : 0 • Optional Allowances 2 (INR per day) : 0 • Optional Allowances 3 (INR per day) : 0 • Estimated Number of Overtime Hours per Resource per Month : 0 • Remuneration per resource per hour for Overtime Hours (Including all applicable allowance etc & excluding GST) : 0 • ESI (INR per day) : 12.07 • Provident Fund (INR per day) : 48.28 • Number of working days in a month : 30 • Tenure/ Duration of Employment (in months) : 12

क्रेता द्वारा जोड़ी गई बिड की विशेष शर्तें/Buyer Added Bid Specific Terms and Conditions

1. **Generic**

OPTION CLAUSE 25% : The buyer can increase or decrease the contract quantity or contract duration up to 25 percent at the time of issue of the contract. However, once the contract is issued, the contract quantity or contract duration can only be increased up to 25 percent. Bidders are bound to accept the revised quantity or duration.
For lumpsum-based service contracts, the buyer may increase the scope of work and contract value up to 25 percent with the consent of the service provider

2. **Forms of EMD and PBG**

Bidders can also submit the EMD with Fixed Deposit Receipt made out or pledged in the name of A/C

Commissioner Municipal Corporation Korba
. The bank should certify on it that the deposit can be withdrawn only on the demand or with the sanction of the pledgee. For release of EMD, the FDR will be released in the favour of the bidder by the Buyer after making endorsement on the back of the FDR duly signed and stamped along with covering letter. Bidder has to upload scanned copy/ proof of the FDR along with bid and has to ensure delivery of hardcopy to the Buyer within 5 days of Bid End date/ Bid Opening date

3. **Generic**

Bidder financial standing: The bidder should not be under liquidation, court receivership or similar proceedings, should not be bankrupt. Bidder to upload undertaking to this effect with bid.

4. **Certificates**

Bidder's offer is liable to be rejected if they don't upload any of the certificates / documents sought in the Bid document, ATC and Corrigendum if any.

5. **Past Project Experience**

Proof for Past Experience and Project Experience clause: For fulfilling the experience criteria any one of the following documents may be considered as valid proof for meeting the experience criteria:a. Contract copy along with Invoice(s) with self-certification by the bidder that service/supplies against the invoices have been executed.b. Execution certificate by client with contract value.c. Any other document in support of contract execution like Third Party Inspection release note, etc.Proof for Past Experience and Project Experience clause: For fulfilling the experience criteria any one of the following documents may be considered as valid proof for meeting the experience criteria:a. Contract copy along with Invoice(s) with self-certification by the bidder that service/supplies against the invoices have been executed.b. Execution certificate by client with contract value.c. Any other document in support of contract execution like Third Party Inspection release note, etc.

6. **Service & Support**

AVAILABILITY OF OFFICE OF SERVICE PROVIDER: An office of the Service Provider must be located in the state of Consignee. DOCUMENTARY EVIDENCE TO BE SUBMITTED.

7. **Payment**

PAYMENT OF SALARIES AND WAGES: Service Provider is required to pay Salaries / wages of contracted staff deployed at buyer location first i.e. on their own and then claim payment from Buyer alongwith all statutory documents like, PF, ESIC etc. as well as the bank statement of payment done to staff.

8. **Buyer Added Bid Specific ATC**

Buyer Added text based ATC clauses

1.Earnest Money Deposit (EMD)

Submission of Earnest Money Deposit (EMD) is Mandatory For All Bidders.No Exemption OR Relaxation in EMD is Allowed Under Any CircumStances.Every Bidder Must Submit The Prescribed EMD in The Mode of Specified in Tender Documents OR On The Tender Portal.

2. Submission of EMD and Rs.100 Affidavit Envelope

The sealed envelope containing the EMD and the ₹100 Non-Judicial Stamp Paper Affidavit should be sent by Speed Post to the following address:

Water Supply Section (Mr. Rakesh Masih)

Office of municipal corporation

Saket bhawan ITI chowk Kosabadi pin-495677

Korba C.G.

The sealed envelope must be delivered to the above office within Five (05) days from the Bid End Date/Bid Opening Date, on or before 5:30 PM (17:30 hrs). Clearly mention the following on the envelope:

Name of the Work Bid Number

.

9. **Buyer Added Bid Specific ATC**

Buyer uploaded ATC document Click here to view the file.

अस्वीकरण/Disclaimer

The Additional Terms and Conditions (ATC) have been incorporated by the Buyer after approval of their Competent Authority. The Buyer ,is solely responsible for the impact of these clauses on the bidding process, its outcome, and consequences thereof including any restriction arising in the bidding process due to these ATCs and including the modification of technical specifications and / or terms and conditions governing the bid.All representations / grievances pertaining to the ATC clauses shall be raised with the buyer organization directly and not with GeM.If any of the clause(s) is/are incorporated by the Buyer regarding the following, the bid & resultant contract shall be treated as null & void. Further, GeM reserves the right, at its sole discretion, to cancel the bid forthwith, without issuance of any prior notice or intimation :-

1. Publishing Custom / BOQ bids for items for which regular GeM categories are available (unless such Custom / BOQ item is bunched with the major regular product Category Item).
2. Mandating procurement of / from specific Brand / Make / Model / Manufacturer / Dealer except in case of Single Bid / Proprietary Article Certificate (PAC) Buying.
3. Inclusion of disqualification criteria related to suspension of seller / service provider, where such suspension period has already expired.
4. Mandating submission of documents (other than EMD and signed Integrity Pact - which can be submitted within 5 days of bid opening) in physical form as a pre-requisite to qualify bidders.
5. Publishing bids on GeM for procurement of works.
6. Procurement of Goods by creating a Service bid on GeM & vice-versa.
7. Seeking sample with bid or approval of samples during bid evaluation process. However, trial / sample, as the case may be, shall be permitted in cases where trial / sample are allowed as per approved and published procurement policy of the Buyers' controlling Ministry / Department / State / Public Sector Enterprises Headquarters. If there is any violation of trial / sample clause with regard to approved policy of the Buyers' Ministry / Department / State / Public Sector Enterprises Headquarters, then this is to be determined and redressed by the concerned Buyer Organisation only.
8. Seeking experience from specific organization / department / institute only or from foreign / export experience.
9. Creating bid for items from incorrect categories.
10. Reference of conditions published on any external site or reference to external documents/clauses.
11. Asking for any Tender fee / Bid Participation fee, as the case may be.
12. Buyer added ATC Clauses which are in contravention of clauses defined in bid detail section, including specifications, EMD Detail, ePBG Detail and MII and MSE Purchase Preference sections of the bid, unless otherwise allowed by the applicable GeM GTC.
13. Any ATC clause in contravention with GeM GTC Clause 4 (xiii) (h) will be invalid. In case of multiple L1 bidders against a service bid, the buyer shall place the Contract by selection of a bidder amongst the L-1 bidders through a Random Algorithm executed by GeM system.
14. In a category based bid, adding additional items, through buyer added, additional scope of work/ additional terms and conditions/or any other document. If buyer needs more items along with the main item, the same must be added through bunching category based items or by bunching custom catalogues or bunching a BoQ with the main category based item, the same must not be done through ATC or Scope of Work.

Further, if any seller has any objection/grievance against these additional clauses or otherwise on any aspect of this bid, they can raise their representation against the same by using the Representation window provided in the bid details field in Seller dashboard after logging in as a seller. Buyer is duty bound to reply to all such representations and would not be allowed to open bids if he fails to reply to such representations.

All GeM Sellers/Service Providers shall ensure full compliance with all applicable labour laws, including the provisions, rules, schemes and guidelines under the four Labour Codes i.e. the Code on Wages, 2019; the Industrial Relations Code, 2020; the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020; and the Code on Social Security, 2020 as and when notified and brought into force by the Government of India.

For all provisions of the Labour Codes that are pending operationalisation through rules, schemes or notifications, the corresponding provisions of the pre-existing labour enactments (such as The Minimum Wages Act, 1948, The Payment of Wages Act, 1936, The Payment of Bonus Act, 1965, The Equal Remuneration Act, 1976, The Payment of Gratuity Act, 1972, etc. and relevant State Rules) shall continue to remain applicable.

The Seller/ Service Providers shall, therefore, be responsible for ensuring compliance under:

- **All notified and enforceable provisions of the new Labour Codes as mentioned hereinabove; and**
- **All operative provisions of the erstwhile Labour Laws until their complete substitution.**

All obligations relating to wages, social security, safety, working conditions, industrial relations etc. and any other statutory requirements shall be strictly met by the Seller/ Service Provider. Any non-compliance shall constitute a breach of the contract and shall entitle the Buyer to take appropriate action in accordance with the contract and applicable law.

This Bid is governed by the General Terms and Conditions, conditions stipulated in Bid and Service Level Agreement specific to the Service, as the case may be, as provided in the Marketplace.

However, in case of Service, if any condition specified in General Terms and Conditions is contradicted by the conditions stipulated in Service Level Agreement specific to said Service, then it will over-ride the conditions in the General Terms and Conditions.

This Bid is governed by the सामान्य नियम और शर्तें/General Terms and Conditions, conditions stipulated in Bid and Service Level Agreement specific to this Service as provided in the Marketplace. However in case if any condition specified in सामान्य नियम और शर्तें/General Terms and Conditions is contradicted by the conditions stipulated in Service Level Agreement, then it will over ride the conditions in the General Terms and Conditions.

जेम की सामान्य शर्तों के खंड 26 के संदर्भ में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बिडर से खरीद पर प्रतिबंध के संबंध में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश का कोई भी बिडर इस निविदा में बिड देने के लिए तभी पात्र होगा जब वह बिड देने वाला सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकृत हो।बिड में भाग लेते समय बिडर को इसका अनुपालन करना होगा और कोई भी गलत घोषणा किए जाने व इसका अनुपालन न करने पर अनुबंध को तत्काल समाप्त करने और कानून के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई का आधार होगा।/In terms of GeM GTC clause 26 regarding Restrictions on procurement from a bidder of a country which shares a land border with India, any bidder from a country which shares a land border with India will be eligible to bid in this tender only if the bidder is registered with the Competent Authority. While participating in bid, Bidder has to undertake compliance of this and any false declaration and non-compliance of this would be a ground for immediate termination of the contract and further legal action in accordance with the laws.

---धन्यवाद/Thank You---

Superintending Engineer
Municipal Corporation
KORBA (C. G.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

श्रमिक प्रदाय संबंधी नियम एवं शर्तें

1. निविदाकारों को कार्य के वार्षिक लागत मूल्य का "1% अमानत राशि" के रूप में राशि Rs 1,00,000/- (In Words: Rupees One Lakh Only) आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम से देय Fixed Desposit Receipt/Term Deposit Receip (FDR/TDR) पृथक से लिफाफे में "बिड खुलने की तिथि के पूर्व" पंजीकृत डाक के माध्यम से आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा साकेत भवन, आई टी आई चौक, कोसाबाड़ी, कोरबा 495677 छत्तीसगढ़ में जमा किया जाना अनिवार्य होगा तथा उसकी प्रति ऑनलाईन भी अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। यह अमानत राषि सफल निविदाकार को रोककर शेष असफल निविदाकारों को 15 दिवस में वापस की जायेगी।

2. फर्म/निविदाकार का विगत 03 वर्षों के दौरान कम से कम एक वर्ष में संबधित क्षेत्र में वार्षिक टर्नओवर राशि ₹1.00 करोड़ होना अनिवार्य होगा।

3. Experiene Certificate: The bidder must have successfully completed similar nature of work (i.e providing manpower as placement agency) for the works invited by any State/Central/Semi Government organizations in India within last Three Financial years previous from the date of submission Bid i.e for a period starting from 31/03/2023 and ending one month prior to Bid Submission Date with:

ONE Similar work of value not less than 80% of Estimate cost

OR

TWO Similar works each of value not less than 50% of Estimate cost

OR

THREE Similar works each of value not less than 40% of Estimate cost

Note: Partiipant bidders have to mandatorily attach the relevant certificate of exeperiene along with the bid documents.

4. कर्मचारी भविष्य निधि, लेबर एक्ट, जी.एस.टी., ई.एस.आई.सी. आदि के अंतर्गत वैध पंजीयन हो। पंजीयन प्रमाण पत्रों की स्व–प्रमाणित प्रतियां टेक्निकल बिड ऑनलाईन जमा करना अनिवार्य होगा। टेक्निकल बिड क्वालिफाई होने के उपरांत ही आई.डी. बिड खोली जायेगी।

5. आयकर अधिनियम के अंतर्गत स्थायी लेखा संख्या/पेन नंबर/जीएसटी नंबर प्राप्त हो। पैन कार्ड एवं जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

6. विगत तीन वर्ष "2023–24, 2024–2025 एवं 2025–2026" में से कम से कम दो Assessment Year का आयकर रिटर्न एवं विगत वर्ष का "GST-R1 ,एवं GST-R3 B" की रिटर्न की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

7. निविदा की स्वीकृति पत्रक जारी होने के सात दिनों के भीतर सफल निविदाकार को "₹100/– मात्र" के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प में अनुबंध करना होगा। निविदा के अंतर्गत अनुबंध की अवधि "01 वर्ष" की होगी, जिसमें आवश्यकतानुसार अनुबंध की अवधि को प्रथम पक्षकार द्वारा आवश्यकता अनुसार "03 माह तक वृद्धि" की जा सकेगी एवं आपसी सहमति से

आगामी "03 माह तक वृद्धि" की जा सकेगी। सफल निविदाकार को कार्यादेश जारी होने के उपरांत "07 दिवस" के भीतर अनुबंध निष्पादन करना अनिवार्य होगा। न करने की स्थिति में अथवा सेवा संतोषप्रद न पाये जाने पर निविदाकार की अमानत/सुरक्षा राशि राजसात करते हुए भविष्य में आमंत्रित की जाने वाली निविदा हेतु काली सूची में डाल दिया जाएगा।

8. प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा मानव संसाधन कर्मियों को वेतन भुगतान का साक्ष्य एवं बैंक स्टेटमेंट देयक के साथ प्रस्तुत करने पर निगम द्वारा प्रस्तुत देयक का भुगतान प्रतिमाह किया जायेगा।

9. निविदादाता एजेंसी/फर्म/संस्था को क्षेत्रीय भविष्य निधि कर्मचारी संगठन में पंजीकृत होना अनिवार्य है। पंजीयन की छायाप्रति ऑन–लाइन संलग्न किया जावे।

10. निविदाकार को लागत राशि ₹15.00 लाख का बैंक साल्वेंसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना ऑनलाइन अनिवार्य होगा, जो की बिड जारी करने की तिथि से 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए ।

11. अनुबंधित संस्था/फर्म/एजेंसी द्वारा उपरोक्त सरल क्र. 10 के अनुसार भुगतान पश्चात देयक प्रस्तुत करने पर मासिक रूप से देयक का भुगतान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त विगत माह में भुगतान किये गये कर्मी का कटौत्रा पी.एफ./ई.एस.आई.सी. एवं जी.एस.टी.आर.–3बी रिटर्न प्रस्तुत करना देयक के साथ अनिवार्य होगा।

12. मानव संसाधन कर्मी के प्रतिमाह अंशदान की राशि निर्धारित मानदेय/वेतन में सम्मिलित रहेगी तथा नियमानुसार कटौती कर जमा करने की जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी।

13. यदि कोई भी फर्म निरंक चार्जेस की राशि निविदा में भरता है तो इस तरह की निविदा दर को गैर–जिम्मेदार माना जाएगा और इस पर विचार नहीं किया जाएगा। शासन द्वारा निर्धारित टीडीएस (आयकर एवं जीएसटी) एवं अन्य तरह के दायित्व की वैधानिक कटौती को पूरा करने के लिए सेवा शुल्क पर्याप्त होना चाहिए। निविदा में भरी गई दरें/सेवा शुल्क की राशि वैधानिक कटौती से कम है तो इस तरह की निविदा को सरसरी तौर पर अमान्य कर दिया जाएगा। सर्विस चार्ज टीडीएस कटौत्रा राशि से अधिक होना अनिवार्य होगा तथा भविष्य में केन्द्र/राज्य शासन द्वारा घोषित दर वृद्धि की देयता भी सेवा शुल्क से पूर्ति हो सुनिश्चित कर लेवें।

14. प्राप्त दरों में से जो न्यूनतम दर प्राप्त होगी उसी दर को स्वीकार किया जाएगा। आवश्यक होने पर प्राप्त दरों पर निगोशिएशन/क्रॉस ऑफर भी किया जा सकता है।

15. निविदाकार को केवल अमानत राशि एक पृथक लिफाफे (लिफाफा–ए) में रखकर बिड़ खोलने के पूर्व कार्यालयीन समयावधि में पंजीकृत डाक के माध्यम से जमा किया जाना अनिवार्य होगा। वांछित दस्तावेज यथा फर्म का पंजीयन, कर्मचारी भविष्य निधि पंजीयन, जी.एस.टी., अनुभव प्रमाण–पत्र, आयकर रिटर्न इत्यादि ऑन–लाइन प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित अवधि/समय के बाद प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

16. कलेक्टर दर पर समय–समय पर वृद्धि होने पर यह दर परिवर्तनशील होगी।

17. यदि निविदाकार कंपनी हो तो कंपनी का Memorandum of Association संलग्न करना अनिवार्य होगा। फर्म पार्टनरशिप फर्म अथवा प्रोप्राइटरशिप फर्म होने की दशा में भागीदारी फर्म का डीड अथवा पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। कंपनी की दशा में

Memorandum of Association में मानव संसाधन आपूर्ति करने का उद्देश्यिका कंडिका में स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए।

18. फर्म को अब तक उनके द्वारा देय जी.एस.टी., ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी. अन्य वैधानिक देय राशियों का शासन की संबंधित खातों में जमा करने, कोई देय राशि बकाया न होने, एवं किसी भी विभाग में ब्लैक लिस्टेड न होने का शपथ पत्र परिशिष्ट–2 में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

19. ठेकेदार को कार्यादेश प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर श्रम विभाग, जिला कोरबा (छ.ग.) द्वारा जारी श्रमिक रखने संबंधी लाइसेंस (अनुज्ञप्ति) की सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित छायाप्रति कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। श्रमिक रखने संबंधी लाइसेंस 30 दिवस के भीतर प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में बिना किसी अन्य सूचना के निविदा निरस्त की जाकर अमानत राशि राजसात की जायेगी।

20. ठेकेदार द्वारा प्रदाय श्रमिकों की आयु किसी भी स्थिति में 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए तथा 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

21. निविदादाता को छ.ग. में प्रचलित लेबर एक्ट तथा मजदूरी एक्ट की धाराओं एवं नियमों/शर्तों का पालन करना होगा एवं उसके लिये नगर पालिक निगम जिम्मेदार नहीं होगा। Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 का पालन करना होगा।

22. किसी भी स्थिति में ठेकेदार द्वारा किसी भी श्रमिक को कार्य से पृथक नहीं किया जायेगा तथा संतोषप्रद कार्य नहीं करने वाले श्रमिकों को विभागाध्यक्ष/आयुक्त की अनुशंसा उपरांत कार्य से पृथक किया जा सकेगा।

23. ठेकेदार को सभी प्रदाय श्रमिकों का बीमा एवं श्रम विभाग में पंजीयन स्वयं के व्यय पर करना होगा। श्रमिकों के किये गये बीमा की छायाप्रति कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। ठेकेदार द्वारा श्रमिकों का बीमा नहीं कराये जाने पर ठेकेदार को लाभ की राशि का भुगतान नहीं किया जा सकेगा।

24. नगर पालिक निगम, कोरबा में विगत वर्षों से प्लेसमेंट में कार्यरत जल प्रदाय कार्य की सेवाएं यथावत रखना अनिवार्य होगा।

25. कर्मचारियों के फोटोग्राफ, पूर्ण पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर प्रमाणित कर प्रस्तुत करना होगा। ऐसे श्रमिकों जिनका कार्य असंतोषजनक होगा, उन श्रमिकों को बदलने का अधिकार नगर पालिक निगम को होगा एवं श्रमिकों को बदलने की स्थिति में 03 दिवस के भीतर ठेकेदार को श्रमिकों का नाम, पूरा पता व फोटोग्राफ प्रमाणित कर देना होगा।

26. श्रमिकों को प्रतिदिन 08 घंटा कार्य करना होगा एवं शासकीय अवकाश के दिनों में आवश्यकतानुसार कार्य करना होगा।

27. ठेकेदार द्वारा प्रदाय समस्त श्रमिकों का समूह बीमा कराना अनिवार्य होगा। किसी भी अप्रिय स्थिति अथवा अप्रिय घटना होने की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

28. ठेकेदार द्वारा श्रमिकों का फोटोयुक्त परिचय पत्र स्वयं के व्यय से प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी कराकर प्रदाय करना होगा, जिसमें कर्मचारी का नाम एवं पदनाम, पूर्ण स्थायी पता लिखा होना अनिवार्य है।

29. शासकीय/अर्धशासकीय/न्यायालय द्वारा क्षतिपूर्ति पारित आदेश का दायित्व ठेकेदार को होगा।

30. ठेकेदार का कार्य संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में अनुबंध बिना किसी क्षतिपूर्ति के समाप्त किया जा सकता है, जिसके लिये कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी।

31. आवश्यकतानुसार आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा श्रमिकों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि की जा सकेगी।

32. राज्य शासन/केन्द्र शासन एवं श्रम विभाग द्वारा समय–समय पर पारित आदेश स्वतः लागू रहेंगे।

33. यह निविदा 01 वर्ष के लिए मान्य होगी। प्लेसमेंट एजेंसी का कार्य संतोषजनक होने पर श्रमिक प्रदाय की अवधि को तीन माह के लिए बढ़ाया जा सकेगा ।

34. ठेकेदार द्वारा अनुबंध अवधि तक कार्य नहीं छोड़ा सकेगा। यदि अनुबंध के बीच की अवधि में कार्य छोड़ा जाता है तो ठेकेदार के (रिस्क एण्ड कास्ट) में पुनः निविदा आमंत्रण की जायेगी तथा जमा सुरक्षा निधि/अमानत राशि राजसात कर ली जायेगी।

35. निर्धारित समयावधि में इकरारनामा नहीं करने और निर्धारित नियमों व शर्तों के तहत कार्य न करने पर आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा निविदा निरस्त किया जा सकेगा एवं अमानत राशि राजसात कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

36. उपरोक्त निविदाओं की तिथियों में किसी तिथि को अवकाश होने अथवा घोषित होने पर अगले कार्य दिवस पर निविदा से संबंधित कार्यवाही की जा सकेगी।

37. ठेकेदार/एजेंसी को निकाय निधि में पर्याप्त राशि उपलब्ध होने पर अथवा शासन से अनुदान प्राप्त होने पर ही देयक भुगतान किया जायेगा, जिसकी अधिकतम समय–सीमा 03 माह तक हो सकती है, परंतु ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को प्रतिमाह की 05 तारीख तक भुगतान करना अनिवार्य होगा। ठेकेदार द्वारा देयक के साथ कर्मचारियों को ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की राशि भुगतान से संबंधित चालान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अतः सलाह दी जाती है कि वित्तीय रूप से सक्षम कंपनी/फर्म/एजेंसी/स्व–सहायता समूह/एनजीओ/ठेकेदार ही भाग लें जो 03 माह तक श्रमिकों को भुगतान एवं अंशदान की राशि का भुगतान करने में सक्षम हों।

38. निविदा न्यूनतम लाभांश के आधार पर देय होगा, परंतु शून्य लाभांश मान्य नहीं होगा।

39. आधार बेस उपस्थिति में फेस मिसमैच एवं लोकेशन मिसमैच के एक्सेप्शन (Exception) अमान्य होगा तथा कार्यालय द्वारा निर्धारित स्थल पर ही उपस्थिति मान्य होगी। अन्य स्थल से लगाई गई आधार बेस उपस्थिति अमान्य होगी।

40. प्लेसमेंट एजेंसी/श्रमिक ठेकेदार का यह दायित्व होगा कि कोई भी श्रमिक न तो हड़ताल करेगा और न ही हड़ताल पर जायेगा। यदि श्रमिक हड़ताल करते हैं तो उसकी समस्त जवाबदारी प्लेसमेंट एजेंसी/श्रमिक ठेकेदार की होगी एवं प्लेसमेंट एजेंसी/श्रमिक ठेकेदार का ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। जिसके लिए किसी भी न्यायालयीन कार्यवाही मान्य नहीं होगी। श्रमिकों द्वारा हड़ताल करने पर प्लेसमेंट एजेंसी/श्रमिक ठेकेदार को प्रतिमाह के कुल देयक से

02 प्रतिशत राशि की अतिरिक्त कटौती की जायेगी तथा जमा अमानती राशि भी राजसात की जायेगी।

41. प्लेसमेंट एजेंसी/श्रमिक ठेकेदार की निविदा को निलंबित करने अथवा निरस्त/बर्खास्त करने अथवा किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। जिसमें कोई न्यायालयीन कार्यवाही मान्य नहीं होगी।

42. प्लेसमेंट एजेंसी के शासन के निर्देशानुसार लेबर लाईसेंस प्राप्त करना होगा ।

43. सशर्त निविदायें मान्य नहीं होंगी।

44. निविदा दस्तावेजों में ऑन–लाइन संलग्न की जाने वाली अनिवार्य दस्तावेज :–

a) अमानत राशि रु. 100,000/– का FDR/TDR (Refundable) in favour of Commissioner, Municipal Corporation, Korba (Chhattisgarh)
b) कार्यानुभव प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि एवं श्रमिक प्रदाय आदेश की छायाप्रति।
c) गत वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं 2024–2025, 2025–2026 का वार्षिक टर्नओवर (संबंधित क्षेत्र) में कम से कम एक वर्ष में राशि रु. 1.00 करोड़ होने का चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न।
d) रजिस्टर्ड हेड ऑफिस छत्तीसगढ़ राज्य में ही स्थित होने का प्रमाण–पत्र।
e) पैन नंबर की छायाप्रति संलग्न।
f) जी.एस.टी. नंबर पंजीयन की जीवित छायाप्रति संलग्न।
g) विगत तीन वर्ष 2023–24, 2024–2025 एवं 2025–2026 में से दो वर्ष का आयकर रिटर्न एवं विगत वर्ष की जमा GST-R1 एवं GST-R3B की रिटर्न की छायाप्रति संलग्न।
h) वर्तमान वर्ष का बैंक साल्वेंसी प्रमाण पत्र।
i) ब्लैक लिस्टेड न होने का शपथ पत्र। (संलग्न शपथ पत्र में)
j) वर्क इन हैण्ड की जानकारी सहित बिड में भाग लेने हेतु प्रस्तुत किये गए समस्त दस्तावेज सही होने के सम्बन्ध में राशि रूपये 100/- के नॉन ज्यूडीसिएल स्टाम्प पेपर में निष्पादित शपथ पत्र की स्कैन्ड प्रति।
k) कर्मचारी राज्य बीमा एवं कर्मचारी भविष्य निधि मे पंजीकृत होने संबंधी प्रमाण पत्र

45. प्रतिभागी बिडर को पंजीकृत डाक (ऑफलाइन) के माध्यम से **आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा साकेत भवन, आई टी आई चौक, कोसाबाड़ी, कोरबा 495677 छत्तीसगढ़** को सीलबंद लिफाफा द्वारा जमा किये जाने वाले दस्तावेजो का विवरण–

a) अमानत राशि रु. 100,000/– का FDR/TDR (Refundable) in favour of Commissioner, Municipal Corporation, Korba (Chhattisgarh)
b) ब्लैक लिस्टेड न होने का शपथ पत्र। (नोटरी द्वारा प्रमाणित मूलप्रति)

अन्य शर्तें :–

1. नियोजित कर्मियों को वेतन भुगतान माह समाप्ति पश्चात विभाग प्रमुख से प्राप्त माह की उपस्थिति पुष्टि प्रेषण पश्चात आवश्यक वेतन गणना एवं भुगतान की कार्यवाही आगामी माह के 01 से 05 तारीख तक आवश्यक रूप से करना अनिवार्य होगा। जिन कर्मियों की उपस्थिति अप्राप्त होगी उनसे संबंधित वेतन का भुगतान लंबित रखा जा सकेगा। नियोजित कर्मियों को

वेतन भुगतान उक्त अवधि में आवश्यक रूप से करना अनिवार्य होगा। निविदाकार द्वारा देयक प्रस्तुति का भुगतान अप्राप्त होने के कारण नियोजित कर्मियों को वेतन लंबित नहीं रखा जा सकेगा। इस संबंध में यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो निविदा अनुबंध नियमों के अंतर्गत नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

2. नियोजित कर्मियों के मामले में संबंधित विभाग में जमा की गई राशि की रसीद, प्रत्येक कर्मचारी की ट्रांजेक्शन आईडी, यूटीआर की छायाप्रति प्रतिमाह नगर पालिक निगम, कोरबा में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा, जिसके उपरांत ही भुगतान किया जायेगा।

3. प्लेसमेंट एजेंसी श्रम कानूनों का पालन करने के लिए स्वयं जवाबदार रहेगी एवं आवश्यक पंजीयन संबंधित विभाग से प्राप्त करेगी एवं प्रमाण पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

4. उक्त कर्मियों का ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. कटौती नियमानुसार करना होगा। नियोजित कर्मियों की वर्णित एकमुश्त मासिक राशि के भुगतान से ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. कटौती प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा किया जायेगा। नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा प्लेसमेंट एजेंसी को एकमुश्त देय राशि माह समाप्ति पर शर्त क्रमांक 10 की मांग पूर्ति करते हुए देयक प्रस्तुत किये जाने के उपरांत नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। स्वीकृत दर के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा। GST-R1 एवं GST-R3B की मासिक विवरण की प्रति प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

5. कार्यालयीन समय में कोई भी कर्मचारी बिना संबंधित अधिकारी की अनुमति के कार्य से अनुपस्थित नहीं रहेगा।

6. कार्य के दौरान प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा संतोषप्रद सेवायें प्रदान न करने की स्थिति में नगर पालिक निगम, कोरबा एक सप्ताह के लिखित नोटिस के उपरांत उत्तर संतोषप्रद न पाये जाने पर अनुबंध निरस्त कर सकेगा।

7. सभी कर्मचारी कार्यालय में कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिसमें कार्यालयीन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आपत्ति हो। यदि आवश्यक हुआ तो या नगर पालिक निगम, कोरबा के अधिकारी के कहने पर अथवा किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर जिससे निगम को किसी भी प्रकार की हानि हो, ऐसी स्थिति में प्लेसमेंट एजेंसी को खराब आचरण करने वाले कर्मी को तत्काल बदलना होगा।

8. कर्मचारियों की संख्या में परिवर्तन आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा के आदेश से किया जा सकेगा।

9. सेवा प्रदाता द्वारा नियोजित किये जाने वाले व्यक्ति छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होंगे।

10. उपरोक्त शर्तों का पालन नहीं करने पर संबंधित प्लेसमेंट एजेंसी को तीन वर्षों हेतु ब्लैक लिस्टेड करते हुए अमानत/जमानत राशि राजसात की जायेगी।

11. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने, नियम शर्तों को शिथिल करने तथा बिना कारण बताये निविदा निरस्त करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा के पास सुरक्षित रहेगा।

12. बिना कारण बताये निविदा में प्राप्त दरों को मान्य अथवा अमान्य करने का सर्वाधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा के पास सुरक्षित रहेगा।

13. अनुबंध के अंतर्गत जमा अमानत राशि की वापसी अनुबंध समाप्ति के 12 माह पश्चात होगी। इस दरम्यान यदि मानव संसाधन की सेवा किये व्यक्ति की शिकायत अथवा किसी वैधानिक संस्था द्वारा निविदाकार द्वारा दायित्वों की पूर्ति नहीं करने के संबंधी शिकायत पत्र प्राप्त होता है, तो नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा ऐसी दायित्वों का पालन करते हुए संबंधित संस्थान/व्यक्ति को राशि का भुगतान करते हुए भुगतान किये गये राशि का तीन गुना राशि दण्ड स्वरूप जमा अमानत राशि अथवा निविदाकार को देय राशि से कटौती किया जायेगा। इस बाबत निविदाकार की कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

14. इस निविदा में उल्लिखित समस्त कंडिकाओं और परिशिष्टों के अभिप्राय (इंटरप्रिटेशन), व्याख्या और स्पष्टता के विषय में किसी भी प्रकार से उत्पन्न विवाद का अंतिम निर्णय आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा किया जायेगा, जो दोनों पक्षों (निगम एवं निविदाकार) को मान्य होगा।

15. शासन के प्रचलित नियमानुसार देयको से समस्त आवष्यक कटौती की जायेगी ।

नोटः– दरें भरने के पूर्व निविदा की नियम एवं शर्तों की सभी कंडिकाओं का भलीभांति अवलोकन एवं पालन करें।

Executive Engineer
Municipal Corporation
KORBA (C. G.)

अधीक्षण अभियंता
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)

कार्यपालन अभियंता (जल प्रदाय)
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)

(1) हमें निविदा की सभी शर्तें स्वीकार हैं। हमें शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में मानव संसाधन उपलब्ध कराने का अनुभव है, जिसके संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न कर रहे हैं। हम इस निविदा के अंतर्गत निम्नांकित पदनाम के मानव संसाधन कर्मी के समक्ष दर्शायी गई कलेक्टर दर की राशि से बिना किसी कटौती किये (वैधानिक कटौती को छोड़कर) भुगतान करने का वचन देते हैं।

(2) उपरोक्त कंडिका 1 एवं 2 के अतिरिक्त निम्नांकित राशि का भुगतान विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत हमारे द्वारा किया जायेगा। जिसकी प्रतिपूर्ति नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा मासिक आधार पर देयक के साथ हमें की जायेगी।

क्र.	मद	वैधानिक पंजीयन क्र.	प्रतिशत
1	इम्प्लायर प्रोविडेंट फण्ड (EPF)		13%
2	ई.एस.आई.सी. (ESIC)		3.25%
3	जी.एस.टी. (GST)		Exemption as per Article 243W

नोटः– ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. अधिनियम के अंतर्गत लागू न्यूनतम वेतन के अंतर्गत उक्त दोनों राशि का कटौता किया जाना तदनुसार ही उपरोक्त तालिका में राशि की प्रविष्टि करेंगे।

(3) निर्धारित कलेक्टर दर राशि में से प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा किसी प्रकार सेवा शुल्क या अन्य मद में न ही कटौती की जा सकेगी या न ही वसूल की जा सकेगी। परंतु नियमानुसार कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा की कटौती एवं अन्य संवैधानिक कटौती ही की जायेगी तथा शेष राशि का भुगतान संबंधित कर्मी के बैंक खातों में किया जायेगा।

(4) हमारे द्वारा वैधानिक देय राशियों का भुगतान नियत समय के भीतर की जायेगी एवं प्रत्येक माह देय जमा राशि का विवरण, चालान/पावती नगर पालिक निगम, कोरबा में जमा किया जायेगा। इसके अतिरिक्त संदाय संबंधी जो भी जानकारी व दस्तावेज आपके द्वारा मांगे जायेंगे, तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।

फर्म के मालिक/अधिकृत
हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर

पूरा नाम

संस्था का नाम

संस्था का सील–मोहर

परिशिष्ट–2

शपथ–पत्र

मैं पिता/पति का नाम
संस्था का नाम संस्था प्रमुख निवासी
.....

..... नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा जारी निविदा प्रपत्र, निर्धारित नियम एवं शर्त का पूर्ण रूप से अध्ययन करने के पश्चात ही उपरोक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। हमारे फर्म द्वारा देय ''जी.एस.टी., ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी.'' तथा अन्य वैधानिक देय राशियों का शासन की संबंधित खातों में जमा किया गया है तथा हमारे नियोजित कर्मियों के कोई भी वेतन भुगतान राशि बकाया नहीं है। उपरोक्त आवेदन में अंकित कोई भी जानकारी असत्य/अपूर्ण/अधूरी या फिर गलत पायी जाती है तो इसे अस्वीकार/निरस्त करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा को होगा। इस बारे में मेरे या संस्था के किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह की अपील या आपत्ति किसी क्षेत्र में नहीं की जाएगी। मुझे नगर पालिक निगम, कोरबा की उपरोक्त से संबंधित सभी नियम एवं शर्तें स्वीकार हैं।

यह कि हमारी संस्था किसी शासकीय विभाग द्वारा ''ब्लैक लिस्टेड (काली सूची)'' में नहीं है।

स्थान :

दिनांक :

फर्म के मालिक/अधिकृत
हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर

पूरा नाम

संस्था का नाम

संस्था का सील–मोहर